राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 807/2013/भीलवाडा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन–प्रथम,बांसवाडा अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सुनील सेरेमिक
भीलवाडा प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से

श्री वी.सी.सोगानी
अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 21.02.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 104/वैट/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 08.02.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित कर रू. 71,992/– को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 09.10.2012 को वाहन संख्या वाहन संख्या आरजे. 27जीबी–1687 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर रतनपुर जिला डूँगरपुर के पास रोक कर चेक किया गया।। वाहन में लदे माल के सम्बन्ध में माल पी वी सी के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 0957707 प्रस्तुत किया गया है। दस्तोवजों की जांच पर पाया गया कि वैट–47 के पार्ट–बी के कॉलम संख्यास एक में इनवाईस नम्बर, कॉलम संख्या 3 में माल की कीमत के अंकों व शब्दों एवं कॉलम संख्या 5 में माल की मात्रा एवं वजन को सफेदा लगाकर परिवर्तित किया गया है। इस कृत्य को कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रस्तत जवाब को सन्तोषाजनक नहीं मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 61,707/– व माल की कीमत पर 5 प्रतिशत की दर से कर रू. 10,285/–आरोपित करते हुए कुल रू. 71,992/–की मांग सृजित करते हुए आदेश दिनांक 09.10.2012 पारित किया है। उक्त पारित आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं कर को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2013

पारित किया है। उक्त अपीलाधीन आदेश से क्षुब्ध होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलाधीन आदेश को विधि के विरूद्ध व प्रकरण के तथ्यों के प्रतिकूल होने का कथन किया है। उनका कथन है कि वक्त जांच प्रस्तुत किये गये वैट–47 में करापवंचन की दोषी मानसकिता से कुछ कॉलम की पर्ति नहीं की गई और कुछ में सफेदा लगाकर परिवर्तन किया गया है,जिससे करापंवचन किया जाना स्पष्ट होने के साथ ही साथ अधिनियम की धारा 76 (2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त किया है, जो पूर्णतः अविधिक है । उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वैट–47 के पार्ट–बी के कॉलम संख्यासएक में इनवाईस नम्बर, कॉलम संख्या 3 में माल की कीमत के अंकों व शब्दों एवं कॉलम संख्या 5 में माल की मात्रा एवं वजन को सफेदा लगाकर परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में वक्त जांच स्पष्ट कर दिया गया था। उनका कथन है कि ओवरराईटिंग करने में उसकी कोई दोषी मानसिकता नही थी। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या अथवा फर्जी/बोगस प्रमाणित नहीं किया गया है और ना ही माल का भौतिक सत्यापन पर पाये गये माल एवं प्रस्तुत बिल में अंकित माल में कोई विरोधाभास नहीं पाया गया है,जिससे आरोपित शास्ति को उचित नहीं कहा जा सकता है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का पूर्ण विवेचन करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं कर को अपास्त किया है,जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन ज्ञात होता है कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत किया गया वैट–47 नम्बर 0957707 के के पार्ट–बी के कॉलम संख्या एक में इनवाईस नम्बर, कॉलम संख्या 3 में माल की कीमत के अंकों व शब्दों एवं कॉलम संख्या 5 में माल की मात्रा एवं वजन को सफेदा लगाकर पूर्व अंकित किये गये विवरण में परिवर्तन किया गया है। उक्त प्रकार से किये गये परितर्वन को करापंवचन दोषी मानसिकता से किया जाना मानकर कर निर्धारण अधिकारी ने माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति एवं 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया है।

प्रकरण के तथ्यों से ज्ञात होता है कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत घोषणा पत्र वैट–47 मे सफेदा लगाकर घोषणा पत्र 47 के पार्ट बी में कालम संख्या 1,3, 4 एवं 5 में परिवर्तन किया गया है। जिसके सम्बन्ध में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा मैसर्स जयपुर उद्योग, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन–प्रथम,बांसवाडा अपील संख्या 1893/2012/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2015 में निर्णित किया है कि सफेदा लगाकर पूर्व में अंकित विवरण मिटाकर दूसरा विवरण अंकित करने के मामले में दोषी मनोभाव स्पष्ट होने से आरोपित शास्ति को यथावत रखा है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी जो (2007) 9 वी एस टी–1(एससी),(2007) 293 आई टी आर 584(एससी) एवं 7 सी सी सी 269 में प्रकाशित है, में निम्न मत प्रतिपादित किया है:–

"mensrea is not essential. such overwritings and cuttings in declaration form, in all columns would certainly fall in the catergory of forged, fabricated or false declaration form and therefore, in any view,the assessing officer was correct in levying the penalty and the Deputy Commisssioner(Appeals)as well as the Tax Board were unjustified in delelting the same, therefore, the order of the Tax Board in quashed and se aside and order of the assessisng officer is restored"

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित मत के अनुसार घोषणा पत्र में की गई कांटछांट या सफेदा लगाकर उसमें अंकित विवरण को मिटाने को सही नहीं मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को पुर्नस्थापित किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में हस्तगत प्रकरण में वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र वैट–47 में सफेदा लगाकर पूर्व में अंकित विवरण को मिटाकर नया विवरण अंकित किया गया है, जो दोषी मनोभाव को प्रमाणित करता है। अतः हस्तगत प्रकरण उक्त प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों से आच्छादित (कवर्ड) होने से विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2013 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य